राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि०प्र० के लेखों अवधि 4/2016 से 3/2024 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग – एक

1. (क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के लेखों का अन्तिम अंकेक्षण विभाग द्वारा अवधि 04/2016 से 03/2024 तक के लिए किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1. **लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2012 तक**

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरों की स्थिति**	**विवरण**
1	पैरा 8	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अंशत निर्णीत	क्रमांक संख्या 1,3, तथा 8 पर दर्शाये गए 1,04,240 के अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष है।
3	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत	

2. **लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2016 तक**

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरों की स्थिति**	**विवरण**
1	पैरा -3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹10000/- की APR की पुष्टि उपरान्त निर्णीत किया गया।
2	पैरा -4	निर्णीत	वित्तीय स्थिति, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी व नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है

3	पैरा -5	निर्णीत	निवेश, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी व नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।
4	पैरा -6	अनिर्णीत	
5	पैरा -7	निर्णीत	दिनांक 01.06.2017, रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 196 में निवेश की गई राशियों को समल्लित करके वास्तविक शेष के साथ रोकड़ बही का निर्माण किया गया था। अत: की गई करवाई का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
6	पैरा -8	अनिर्णीत	
7	पैरा -9	अनिर्णीत	
8	पैरा -10	निर्णीत	निवेश खातों की संख्या 47 से कम करके 18 कर दी गई थी व की गई करवाई का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
9	पैरा -11	निर्णीत	वर्तमान में केवल एक ही खाते का संचालन किया जा रहा है की गई करवाई का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
10	पैरा -12	अनिर्णीत	
11	पैरा -13	अंशत: निर्णीत	समायोजन राशि की प्राप्ति की बैंक व रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि का सत्यापन करने उपरान्त 13 (क) निर्णीत किया गया व 13 (ख) में वर्णित ₹1,04,240 /- के अग्रिम समायोजन हेतु शेष है।
12	पैरा – 14	निर्णीत	की गई करवाई का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।

13	पैरा – 15	अनिर्णीत	
14	पैरा – 16	अनिर्णीत	
15	पैरा -17	निर्णीत	अंकेक्षण में प्रस्तुत व्यय वाउचर की अंकेक्षण के दौरान पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
16	पैरा – 18	अनिर्णीत	
17	पैरा – 19	अनिर्णीत	
18	पैरा – 20	अनिर्णीत	
19	पैरा – 21	अनिर्णीत	
20	पैरा – 22	अनिर्णीत	
21	पैरा – 23	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत निर्णित किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5.2	सावधि जमा में निवेशित राशि में ब्याज की कम प्राप्ति बारे।	2.71
2	6	प्राइवेट तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान admission/counselling and Processing fees के रूप में बकाया राशि बारे।	1.07
3	12	राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनावश्यक रूप से आयकर व दण्ड शुल्क के भुगतान करने बारे।	21.13
4	13	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से वैधानिक कटौतियां न करने बारे।	05.55
5	18	हि. प्र. सरकार की अनुमति बिना आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने बारे	------

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः-

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि०प्र० के अवधि 4/2016 से 3/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री शिव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 23.01.2025 से 15.02.2025 तक के दौरान परिषद के कार्यालय में सुन्दरनगर में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय की विस्तृत जांच के लिये माह :- 06/16, 06/17, 01/19, 10/19, 10/20, 03/22, 01/23, 11/23 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिये माह :-01/17, 01/18, 01/19, 09/19, 06/20, 03/22, 08/22, 08/23 चयनित किये गए ।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न प्रकार से सदस्य सचिव सह निदेशक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः-

सदस्य सचिव सह निदेशक, तकनीकी शिक्षा व उनका कार्यकाल अवधिः-

सदस्य सचिव सह निदेशक, तकनीकी शिक्षा	अवधि
श्री राजेश्वर गोयल,HAS	01-04-2016 से 18-01-2018 तक
श्री सुभ करण सिंह,HAS	23-01-2018 से 21-08-2020 तक
श्री विवेक चंदेल,HAS	24-08-2020 से 06-10-2023 तक
श्री अक्षय सूद,HAS	06-10-2023 से लगातार

आहरण एवं वितरण अधिकारी व उनका कार्यकाल अवधिः-

आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	पद	अवधि
श्री पृथ्वी चंद ठाकुर	HOD (MOP)	01-04-2016 से 29-08-2018 तक
श्री दीपक आंगरा	HOD (Civil Engg.)	30-08-2018 से 31-03-2024 तक

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है । संस्था द्वारा किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जानकारी हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

परिषद के अवधि 4/2016 से 3/2024 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क स्थापना व्यय के आधार पर ₹22,800/- आंका गया है । इस शुल्क राशि को निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को मल्टीसिटी चैक/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/27 दिनांक 15-02-2025 द्वारा सदस्य सचिव सह निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि०प्र० से अनुरोध किया गया । निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि०प्र० द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया के मल्टीसिटी चैक संख्या 342869 दिनांक 25.02.2025 द्वारा भेज दी गई थी।

4. (क) वित्तीय विवरणियाँ:-

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अधिनियम 2006 के नियम व विनिमयन 4.3.4. व 10.1.3 के अनुसार परिषद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/01 दिनांक 07-01-2025 द्वारा निम्न वित्तीय विवरणियों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस कारण लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका, केवल रोकड़ बही का सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा किया गया। वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः-

क्रम संख्या	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं
1	बैलेंस शीट (balance sheet)	प्रस्तुत नहीं की गई
2	माह वार आय व्यय विवरणी (Month wise Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
3	नगदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
5	तलपट (Trial Balance)	प्रस्तुत नहीं की गई

(ख) वित्तीय स्थितिः- निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हि०प्र० द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के अवधि 04/2016 से 03/2024 के लिए प्रस्तुत **परिशिष्ट -क** के आधार पर परिषद की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

वर्ष	अथ शेष (₹)	आय (₹)	अर्जित ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2016-17	14,31,12,141.87	62,73,261.50	2,05,64,994.00	16,99,50,397.37	78,61,606.75	16,20,88,790.62
2017-18	16,20,88,790.62	66,73,510.28	99,29,893.00	17,86,92,193.90	2,57,54,702.39	15,29,37,491.51
2018-19	15,29,37,491.51	42,12,566.00	81,96,926.00	16,53,46,983.51	82,17,595.90	15,71,29,387.61
2019-20	15,71,29,387.61	48,68,343.00	1,71,65,164.00	17,91,62,894.61	2,02,41,598.30	15,89,21,296.31
2020-21	15,89,21,296.31	30,53,513.00	85,20,255.00	17,04,95,064.31	1,05,78,227.50	15,99,16,836.81
2021-22	15,99,16,836.81	71,50,534.00	42,05,288.00	17,12,72,658.81	1,04,40,210.50	16,08,32,448.31
2022-23	16,08,32,448.31	1,88,50,125.00	1,49,88,973.00	19,46,71,546.31	4,10,63,221.22	15,36,08,325.09
2023-24	15,36,08,325.09	78,79,624.00	1,03,83,216.00	17,18,71,165.09	4,98,08,879.50	12,20,62,285.59

(ग) बैंक समाधान विवरणीः- राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की निधियों की दिनांक 31-03-2024 को बैंक समाधान विवरणी (**परिशिष्ट – ख**) व निम्न प्रकार से हैः-

क्रम संख्या	**बचत खाते/निवेश का विवरण**	**दिनांक 31.03.2024 तक का अंत शेष (₹)**
1	बैंक सावधि जमा निवेश का शेष	12,11,03,540.00

2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता सख्या 55076226411	9,58,745.59
सावधि जमा व बचत खातों का 31.03.2024 तक का अंतिम शेष		12,20,62,285.59
रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक का अंतिम शेष		12,20,62,285.59
अंतर		**शून्य**

5.1 निवेश:-

निदेशक तकनीकी शिक्षा, हि०प्र० द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के अवधि 04/2016 से 03/2024 के लिए प्रस्तुत सूचना के आधार पर परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधी जमा में किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार व **(परिशिष्ट - ग)** में दिया गया है:-

क्रम संख्या	**FDR संख्या**	**बैंक का नाम**	**31.03.2024 का निवेश मूल्य (₹)**
1	32930301708	H.P. Co-Op	52,31,851
2	32930300998	H.P. Co-Op	86,67,999
3	65122012277	SBI	79,61,046
4	65119954553	SBI	80,09,046
5	65119954654	SBI	64,07,233
6	65119962280	SBI	80,09,046
7	65072092031	SBI	48,51,760
8	51453031003702	OBC/PNB	23,85,065
9	51453031003719	OBC/PNB	24,21,484
10	303400PU00004094	PNB	1,17,45,961
11	303400PU00004085	PNB	1,17,45,961
12	303400PU00004119	PNB	1,03,17,292
13	XX14646	AXIS Bank	70,00,000

14	XX17357	AXIS Bank	89,40,424
15	XX3002350	ICICI Bank	79,09,372
16	XX313003192	ICICI Bank	25,00,000
17	XX803142280	HDFC Bank	25,00,000
18	XX40073464213	Axis Bank	45,00,000
			12,11,03,540

5.2 सावधि जमा में निवेशित राशि में ब्याज की कम प्राप्ति से ₹ 2.71 लाख की हानि बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया कि निम्न-विवरणानुसार सावधि जमा राशि में बैंक द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद सुंदरनगर को ब्याज के रूप में कम भुगतान किया था, जिससे राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, सुंदरनगर को ₹2,70,926/- ब्याज की हानि हुई है । सावधि जमा में कम ब्याज का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No	Name of Bank	FDR No/ Account Number	Invested amount	Term	Date of Investment	Maturity Value as per FDR	Date of maturity	Rate of Interest	Actual Amount Received	Short realization of interest
1	SBI	30683855310	884164	2 Years 11 months	08.07.2014	1146339	08.06.2017	9%	1134717	11622
2	Bank of Baroda	335503/197	2941418	One year	01.10.2015	3183885	01.10.2016	8%	3134585	49300
			3134585	One year	01.10.2016	3369750	01.10.2017	7.30%	3322026	47724
3	Axis Bank	Xx14646	10000000	376 days	08.07.2022	10605865	19.07.2023	5.75%	10518146	87719
4	Axis Bank	Xx17357	8500000	376 days	08.07.2022	9014985	19.07.2023	5.75%	8940424	74561
										270926

इस बारे में मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025-07 दिनांक 30.01.2025 द्वारा सदस्य सचिव सह निदेशक महोदय के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा सूचित किया गया कि इसके संबंध में बैंक से पत्राचार किया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अत: बैंक द्वारा कम परिपक्वता मूल्य पर सावधि जमा को पुनर्निवेश करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए ।

6. प्राइवेट तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान से admission/counselling and Processing fees के रूप में ₹1.07 लाख न वसूलने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद सुंदरनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण, सुंदरनगर द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि में निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा affiliation, inspection, trainees registration व admission processing/counselling शुल्क जमा किए जाते है जो की राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि का मुख्य आय का स्त्रोत है । अंकेक्षण के दौरान जारी अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/03 दिनांक 28-01-2025 के माध्यम से affiliation, inspection, trainees registration व admission processing/counselling शुल्क के रूप में कुल बकाया राशि के बारे स्थिति स्पष्ट करने व् सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया, तथा पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि "Dreamz Polytechnic, Vill Khilra, Tehsil Sundernagar द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल ₹ 1,07,500 की राशि admission processing/counselling शुल्क के रूप में तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण,सुंदरनगर को जमा नहीं कारवाई गई थी । विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त संस्थान के साथ लम्बित राशि को जमा करवाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है अत उक्त वर्णित संस्थान से ब्याज सहित लम्बित राशि की गणना परिषद द्वारा अपने स्तर पर करने

के उपरान्त संबन्धित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **Demand Draft को देरी से बैंक में जमा करवाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान आय से संबन्धित अभिलेख की नमूना जांच करने पर पाया गया की SCVT निधि में विभिन्न शीर्षकों के तहत प्राप्त आय से संबन्धित "Demand Draft" को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस को बैंक में जमा न करवा कर इन राशियों को काफी लंबे अंतराल बाद बैंक में जमा करवाया जा रहा था । जबकि नियमों में वर्णित प्रावधान "HPFR 2009,rule 3" के अनुसार "All moneys received by or on behalf of the Government either as dues of the Government or otherwise for deposit, remittance and withdrawal therefrom, shall be brought into Government Account immediately, in accordance with such general or special rules as may be issued under the Constitution and under any other rules and instructions of the Government, issued from time to time." देरी से जमा कारवाई गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Demand Draft No.	Dairy Date	D.D Deposited in Bank	Period (in days)	Amount (₹)
1	929902	14.09.20	12.10.20	28	425
2	747428	05.09.20	12.10.20	37	125
3	58235	07.09.20	12.10.20	35	175
4	18021	09.09.20	12.10.20	33	125
5	961775	14.09.20	12.10.20	28	125
6	961710	10.09.20	12.10.20	32	50
7	961768	10.09.20	12.10.20	32	125
8	962817	15.09.20	12.10.20	27	100
9	101728	24.09.20	12.10.20	18	100
10	195991	07.09.20	12.10.20	35	500
11	130772	14.09.20	12.10.20	28	125

12	186002	14.09.20	12.10.20	28	100
13	58235	07.09.20	12.10.20	35	175
14	331447	08.09.20	12.10.20	34	100
15	331426	08.09.20	12.10.20	34	100
					2450

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/23 दिनांक 11-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि अन्य कार्य की अधिकता के कारण उपरोक्त राशि विलम्ब से जमा करवाई गई थी। अत : भविष्य में नियमानुसार प्राप्त राशि को एक दो दिन के भीतर सम्बंधित बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8 नया वाहन खरीदने हेतु नियमानुसार स्वीकृति बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 01/17 के व्यय वाउचर संख्या 695 दिनांक 21.01.2017 की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 897095 का भुगतान Ertiga (ZX को वाहन M/s Competent AutomobilesLके (लिए किया गया था। परिषद् द्वारा वाहन क्रय करने की अनुमति परिषद् की गवर्निंग काउंसिल से मद संख्या 1.11 के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, परन्तु वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin-F-(A)-(11)-11/2004 दिनांक के अनुसार 03.06.2014 " Purchase of new vehicle by including by way of those replacement only with prior of concurrence of council of minister through F.D." की अनुमति जरुरी थी। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/10 दिनांक 30-01-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि वाहन क्रय करने की अनुमति परिषद् की गवर्निंग काउंसिल से मद संख्या 1.11 के अंतर्गत प्राप्त की गई थी। अत : सरकार की अनुमति के बिना वाहन क्रय करना एक गंभीर अनियमितता है । अत: आगामी अंकेक्षण में

वांछित कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाये व की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 श्रीमती सुमित्रा देवी (सफाई कर्मचारी) को ₹ 400 का अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, सुंदरनगर के चयनित माह 01/17 के व्यय वाउचर संख्या 675 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से श्रीमती सुमित्रा देवी, सफाई कर्मचारी (दैनिक भोगी) को ₹ 6200 का भुगतान किया गया था,परन्तु माह दिसंबर 2016 में हाजरी विवरण के अनुसार श्रीमती सुमित्रा देवी दिनांक 01.12.2016 को अनुपस्थित थी व उसके उपरांत दिनांक 04.12.2016 को उनको सवैतनिक अवकाश का भी भुगतान (200x2=400) ₹ 400 किया गया था जो की नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/09 दिनांक 30-01-2025 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वर्णित आपत्ति से सम्बंधित सूचना सम्बंधित शाखा से प्रतीक्षित है जोकि अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई । अत : अनियमित रूप से अधिक भुगतान की गई राशि ₹400/- का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्बंधित निधि के बैंक खाते में जमा करवाई जाना सुनिश्चित की जाये व की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 बिना निविदायें आमंत्रित किए क्रय करने बारे

अंकेक्षण अवधि 04/16 से 03/24 के अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों के व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से निम्नविवरणानुसार ₹ 59701 की सामग्री का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किए किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹ 3000 से अधिक की खरीद के लिए निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	677/04.01.17	2466/26.11.16	Aashima regency	9120
2	677/04.01.17	nill	Hi tech refilling solution	5250
3	678/04.01.17	1909/23.02.16	M/S Heera cloth house	4640
4	687/17.01.17	nill	M/S Brij sweets	7700
5	993/02.01.18	nill	M/S Spectrum instrument	19647
6	993/02.01.18	2066/02.01.18	M/S SS Flori tech	3500
7	1001/23.01.18	162/17.01.18	M/S ASCEOM Technology	6274
8	266/30.03.22	027/30.03.22	green Valley Restaurant	3570
				59701

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/09,18 दिनांक 30.01.2025 व 06-02-2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि उपरोक्त आपत्ति से सम्बंधित सूचना अभी सम्बन्धित शाखा से प्राप्त नहीं हुई है जोकि अंकेक्षण के समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई। अतः निविदायें आमंत्रित किए बिना की गई खरीद का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार निविदायें आमंत्रित करना सुनिश्चित की जाये।

11 समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन पर 15% एजेंसी छूट प्राप्त न करने पर सरकारी राजस्व ₹0.11 लाख की हानि बारे :-

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के पत्र संख्या – 2006/01-15 Pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 05-07-2013 में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कारपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाये जाने की स्थिति में सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन प्रकाशन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15 % की छूट लेने हेतु पात्र है जोकि हि.प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा विज्ञापन बिलों की भुगतान राशि से 15% की कटौती नहीं की गई थी, जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के उक्त नियमों की अवहेलना है। एजेंसी छूट प्राप्त न करने के कारण सरकार के राजस्व में ₹ 11,203/- की हानि हुई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No	Voucher No and Date	Bill No/ Date	Name of Supplier/ Publisher	Purpose	Amount paid (₹)	Loss due to non ded. Of 15 % disc.
1	1003/ 30.01.2018	445/ 17.08.2017	M/s Oriental Communication	Advertisement Expenses	5000.00	750.00
2	179/ 07.01.2019		Shree Bala Ji media innovation pvt ltd.	Advertisement Expenses	15000.00	2250.00
3	367 /04.09.2019	DM1908000438 dated 20.08.2019	Jagran prakashan ltd	Advertisement Expenses	4760.00	714.00

4	367/ 04.09.2019	1004745538/21.01.2019	Punjab kesari Ltd	Advertisement Expenses	15000.00	2250.00
5	367/ 04.09.2019	HP/1819011122/ 02.02.2019	Amar ujala	Advertisement Expenses	10000.00	1500.00
6	367/ 04.09.2019	748/17.08.19	Democracy himachal	Advertisement Expenses	20000.00	3000.00
7	374/ 19.09.2019	HPI1920003676 dated 28.08.2019	Amar ujala	Advertisement Expenses	4927.00	739.00
				Total	**74687.00**	**11,203.00**

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/11,13,14 दिनांक 03-02-2025 व 06-02-2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में विज्ञापन एजेंसियों से सम्बंधित प्रकाशन एजेंसी की अनुमोदित दर व वैधता समय इत्यादि कुछ भी नहीं वर्णित था जिस कारण प्रस्तुत अभिलेख संतोषजनक नहीं पाए गए। अत : विज्ञापन व्यय की राशी से 15% की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा वर्णित राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनावश्यक रूप से आयकर व दण्ड शुल्क ₹ 21.13 लाख के भुगतान के फलस्वरूप हानि :-

अंकेक्षण अवधि 04/2016 से 03/2024 तक के अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया कि वाउचर संख्या 1033 दिनांक 23.03.2018 को ₹11,09,971 का भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर, वाउचर संख्या 524 दिनांक 23.03.2018 को ₹11,09,971 का भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर, वाउचर संख्या 524 दिनांक 30.03.2020 को ₹2,40,670 व वाउचर संख्या 524 दिनांक 07.12.2022 को ₹7,52,790 के माध्यम से कुल ₹21,13,431

(11,09,971+7,52,790+2,50,670) का भुगतान आयकर विभाग को किया गया था, क्योंकि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में भवन निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास ₹5,01,33,867 लगभग की राशि (Deposit Work) जमा करवाई थी। आयकर विभाग द्वारा पत्र संख्या: DCIT (TDS)/PKL/2017-18/1873 दिनांक 06.10.2017 के अन्तर्गत उक्त जमा राशि [पर TDS के रूप में `₹11,09,971 की कटौती न करने का नोटिस जारी किय अता एवं पत्र संख्या:- JCIT(TDS)/PKL/2018-19/798-799 दिनांक 06.06.2018 के अन्तर्गत उक्त जमा राशि पर TDS की कटौती यथासमय न करने के एवज में ₹10,02,677 की पेनल्टी लगाई थी, जोकि विभाग द्वारा SCVT के Fund से उपरोक्त वर्णित वाउचरों के माध्यम से विभिन्न चालानों के द्वारा आयकर विभाग को जमा करवा दी गई थी। जोकि परिषद की निधि पर उचित प्रभार नहीं था। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 201 में यह प्रावधान है कि व्यक्ति/आहरण एवं संवितरण अधिकारी यदि नियमों में प्रावधानित आयकर स्रोत पर कटौती या उसका कोई भाग या कम कटौती करता है तो ऐसा व्यक्ति स्रोत पर कटौती न करने के लिए निजि तौर पर जिम्मेवार होगा। अतः उपरोक्त मामले में भी यदि स्रोत पर आयकर का दायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का था तो स्रोत पर न काटी गई राशि पर अतिरिक्त शुल्क/जुर्माने की राशि के लिए वह निजि तौर पर जिम्मेवार थे। इस प्रकार से स्रोत पर आय कर कटौती ₹1110751.00 के अतिरिक्त जुर्माने की राशि ₹1002680.00 किये गए भुगतान के लिए दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पूर्ण तौर पर निजि था।

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/25 दिनांक 11-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HG(1)TDS/C. Work/2017-6033 दिनांक 14-02-2025 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि हि. प्र. सचिवालय की तकनीकी शिक्षा शाखा में कार्यरत अधीक्षक (Dealing Assistant) द्वारा दिनांक 20.03.2018 को दूरभाष पर बताया था कि उन्होंने इस मामले को आयकर विभाग से चर्चा की तथा आयकर विभाग ने बताया यह राशि आयकर अधिनियम की धाराओं के अनुसार जमा करवाना आवश्यक है, ताकि और अधिक ब्याज से बचा जा सके क्योंकि उनके द्वारा मामला विभागीय नास्ति पर वित एवं विधि विभागों

से उठाना था जिसमें समय लगना था तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम से भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी और न ही उस वित्त वर्ष में किसी निर्माण कार्य हेतु बकाया राशि का राज्य औद्योगिक विकास निगम को भुगतान किया जाना था, जिससे की उस राशि कि भरपाई की जा सकती थी। आयकर विभाग द्वारा दी गई अवधि दिनांक 26.03.2018 को समाप्त हो रही थी इसलिए **निदेशालय की राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹11,09,971/- का भुगतान प्रतिपूर्ति आधार पर उधार लेकर** आयकर विभाग को जमा करवाया गया था ताकि और अधिक ब्याज व दंड से बचा जा सके। परन्तु संयुक्त आयुक्त (आयकर विभाग), टीडीएस रेंज, पंचकुला द्वारा ₹ 10,02,680 (9,52,680+50,000) का दण्ड लगा दिया गया जिसके विरुद्ध तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त, आयकर (अपील) पालमपुर के न्यायालय में अपीलें की थी परन्तु आयकर विभाग के पत्र दिनांक 18.11.2022 के जारी आदेशों अनुसार दायर की गई दोनों अपीलों को समय पर दायर न करने के कारण रद्द कर दिया गया था व मांग की गई राशि को आयकर विभाग के अतिरिक्त ब्याज व दंड से बचाने हेतु अतिआवश्यकता के आधार पर राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 10,02,680/- का भुगतान आयकर विभाग को करके मामले को सेटल किया गया। परन्तु भुगतान की गई राशि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं थी व इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बंधित निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से ₹5.55 लाख की कम वैधानिक कटौतियां करके सरकारी राजस्व को हानि।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों में भुगतान बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के बिल से आयकर, वस्तु व सेवा कर के रूप में अपेक्षित वैधानिक कटौतियां नहीं की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट – घ** में दिया गया है । जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु इस राशि का अधिक भुगतान किया गया जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि निकट भविष्य में यदि वैधानिक कटौतियां न करने के कारण यदि

सम्बन्धित विभागों द्वारा कोई जुर्माना अथवा शुल्क लगाया जाता है तो आयकर/GST की धाराओं अनुसार, यह दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का निजि होगा।

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/20 दिनांक 10-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 प्रस्तुत प्रतिउत्तर में यह स्वीकार किया गया कि उपरोक्त वर्णित कटौतियां की जानी चाहिये थी परन्तु किन्ही कारणवश नहीं की जा सकी व भविष्य में नियमानुसार कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है। आपेक्षित कटौतियां न करना एक गम्भीर अनियमितता है अत वर्णित अनियमिता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 ₹ 855 के अनियमित भुगतान बारे: -

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/22 के व्यय वाउचर संख्या दिनांक 248 07.03.2022की पड़ताल करने पर पाया गया कि आयकर विभाग को ₹का भुगतान 855 " शीर्षकinterest on late payment" के लिए किया गया था, क्योंकि विभिन्न बिलों पर काटी गई आयकर / टीडीएस की राशि को नियमानुसार वर्णित समय पर आयकर विभाग को जमा नहीं किया गया था। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः Fin(LA)/SK/01-2025/18 दिनांक 06-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। अत : अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बंधित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 उपायुक्त एवं अध्यक्ष (DC cum Chairman) मिंजर मेला कमेटी को भुगतान की गई राशि की रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 01/18 के व्यय वाउचर संख्या 985 दिनांक 04.01.2018 की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 15000 -/का भुगतान DC cum Chairman मिंजर मेला कमेटी के पक्ष में मिंजर मेला के दौरान प्रकाशित की जाने वाली सोविनियर में 2 पृष्ट विभाग की उपलब्धियों को प्रकाशित करने हेतु किया गया था, परन्तु इस भुगतान से सम्बंधित भुगतान उपरान्त राशि का सम्बंधित खातों में जमा होने से सम्बंधित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद अभिलेख में सलंग्न नहीं पाई गई जिसके कारण उक्त राशि के सही खाते में जमा होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या : Fin(LA)/SK/01-2025/11 दिनांक 03-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि कि वर्णित अभिलेख (APR) DC cum Chairman मिंजर मेला कमेटी ,चंबा के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है सम्बंधित कार्यालय से APR भेजने हेतु पत्राचार किया जा रहा है व् प्राप्ति उपरान्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: अंकेक्षण में वर्णित अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 ₹40.40 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे: -

(क) अंकेक्षण अवधि 04/16 से 03/24 के दौरान चयनित माहों में व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से विभिन्न संस्थानों को निम्न भुगतान किया गया था, परन्तु इस भुगतान से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये , जिनका विवरण निम्न दिया गया है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	आपूतिकर्ता का नाम	भुगतान राशि (₹)	भुगतान राशि का उद्देश्य
1.	548/ 04.06.2020	HP Technical Board Dharmshala	27,17,700	Written test for the post of trainers
2	986/ 04.01.2018	Confederation of Indian Industry	13,21,954	For skill study mission visit to Kerala and Gujrat.
		Total	**40,39,654**	

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या : Fin(LA)/SK/01-2025/11 दिनांक 03-02-2025, 17 दिनांक 06-02-2025 के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित संस्थानों से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए । अत: आगामी अंकेक्षण में वर्णित अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किये जाएँ व की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/23 के व्यय वाउचर संख्या 751 दिनांक 08.08.2023 की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 27,17,700का अग्रिम भुगतान, प्रधानाचार्य , राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, पौंटा साहिब के पक्ष में किया गया था । अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/22 दिनांक 11-02-2025 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, प्रतिउत्तर में प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, पौंटा साहिब के द्वारा अनुपयोगी राशि ₹2,16,002 को राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की निधि में जमा नहीं करवाया गया

था, अत ₹2,16,002 बकाया राशि की वसूली करने के उपरान्त सम्बंधित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **₹ 27.66 लाख के भुगतान से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे**: -

(i) अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 06/20 के व्यय वाउचर संख्या 548 दिनांक 04.06.2020 की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 27,17,700का भुगतान सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में प्रशिक्षकों की परीक्षा करवाने हेतु निर्धारित नियम व शर्तें पृष्ठांकन संख्या 52213-23 दिनांक 29.06.2019 के अनुसार किया गया था परन्तु उक्त नियम व शर्तें समबन्धित व्यय वाउचर के साथ सलंग्न नहीं पाई गई। अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/17 दिनांक 06-02-2025 के द्वारा सम्बंधित अभिलेख (Terms and Conditions) प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस कारण भुगतान की गई राशि किन नियमों व शर्तों के आधार पर की गई की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना के प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि वर्णित अभिलेखों की मांग सम्बंधित संस्था से की गई है परन्तु अभी तक अभिलेख प्राप्त नहीं हुए है। अत: आगामी अंकेक्षण में वर्णित अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भुगतान कि गई राशि को वैध ठहराया जा सके।

(ii) वाउचर संख्या 552-553 दिनांक 08.06.2020 की पड़ताल करने पर पाया गया कि कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 23658/- व ₹ 24447/- का भुगतान M/s Skylight Manpower को 2 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के मानदेय के रूप में माह 04/20 व 05/20 के लिए किया गया था, परन्तु व्यय वाउचर के साथ केवल सक्षम अधिकारी की व्यय स्वीकृति ही सलंग्न थी। अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/17 दिनांक 06-02-2025 के द्वारा सम्बंधित अभिलेख (complete tender case/ agreement) प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना के

प्रत्युतर में पत्र संख्या STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बताया गया कि वर्णित अभिलेखों की मांग राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से की गई है परन्तु अभी तक अभिलेख प्राप्त नहीं हुए है। अत: आगामी अंकेक्षण में वर्णित अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि भुगतान की गई राशि को वैध ठहराया जा सके।

18 हि. प्र. सरकार की अनुमति बिना आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने बारे :-

हि. प्र. सरकार के पत्र संख्या Fin-F-(A)-(11)-11/2004 dated 05-08-2015 के अनुसार "No vacant post is filled up by direct recruitment by any mode including "on outsourcing basis", without prior concurrence of Finance Department and approval of the Council of Ministers.

अवधि 04/16 से 03/24 के अंकेक्षण के दौरान जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/04 दिनांक 28-01-2025 द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 में बताया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद में किसी भी प्रकार का स्वीकृत पद नहीं है , प्रतिवर्ष आवश्यकता के आधार पर परिषद् की गवर्निंग काउंसिल से अनुमति के उपरान्त आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है। अंकेक्षण अवधि 04/16 से 03/24 के दौरान परिषद् द्वारा 11 डाटा एंट्री ऑपरेटर (वर्ष 2012 में 04, 2014 में 3, 2016 में 2 व 2019 में 02) व 01 सलाहकार की नियुक्ति की गई थी, परन्तु नियुक्ति करने से पहले उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार वांछित अनुमति परिषद् द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। जोकि एक गंभीर अनियमितता है व उपरोक्त पत्र में वर्णित दिशा – निर्देशों की अवहेलना है अत : बिना अनुमति से आउटसोर्स के आधार पर कि गई नियुक्ति का पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए या अंकेक्षण में उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुसार वांछित अनुमति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जा सके अन्यथा भुगतान की गई राशि को अनियमित मानते हुए, उचित स्रोत से भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

19 टैक्सी किराये के रूप में ₹ 440 का अधिक भुगतान करने बारे: -

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/22 के व्यय वाउचर संख्या 237 दिनांक 02.03.2022 की पड़ताल में पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद निधि से ₹ 5,784का भुगतान श्री राहुल राठौर, प्रधानाचार्य आईटीआई लचोड़ी, जिला चंबा को विभिन्न आईटीआई के निरीक्षण के लिए किया गया था। परन्तु वाउचर के साथ सलंग्न जी आर की जांच में पाया गया कि रात्रि ठहराव के लिए ₹ 110 प्रति रात्रि का भुगतान किया गया था परन्तु यह भुगतान किन नियमों / अधिसूचना के अंतर्गत किया गया था , वाउचर के साथ सलंग्न नहीं थी। अंकेक्षण दल द्वारा अधियाचना संख्या Fin(LA)/SK/01-2025/18 दिनांक 06-02-2025 के द्वारा सम्बंधित नियमों / अधिसूचना को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में STV(TE)HC(6)/SCVT Audit/2021-9023 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अधिसूचना संख्या Fin(c)-B(7)-1/2009-Loose दिनांक 22-04-2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि रात्रि ठहराव के रूप में भुगतान की गई राशि कहीं पर भी वर्णित नहीं थी, जिससे की भुगतान की गई राशि को वैध ठहराया जा सकता। अधिक भुगतान की गई राशि का व्यौरा निम्न दिया गया है:-

क्रम संख्या	भुगतान की गई राशि का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	Vide GR No 04 dated 27-08-2021 claimed one night halt	110
2.	Vide GR No 07 dated 03-09-2021 claimed two night halt	220
3.	Vide GR No 16 dated 22-09-2021 claimed one night halt	110
	रात्रि ठहराव के रूप में कुल भुगतान की गई राशि	**440/-**

अत : अनियमित रूप से अधिक भुगतान की गई राशि का या तो पूर्ण रूप से औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹ 440 की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बंधित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:-

अभिलेख की जांच मे पाया गया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के स्टॉक मे पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना प्रतिवर्ष नहीं की जा रही है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के 140 व 141 के अनुसार भंडार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2021 उपरान्त नहीं किया गया है । अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मे प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

21 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

22 निष्कर्ष:- लेखों में रख – रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2626676

~~21 APR 2025~~ 29 March 2025
का0/प्रति ~~28544-28545~~ 1895-1896

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(11)293/2008–खण्ड–11 दिनांकः शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–03

21 APR 2025

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2626676

का0/प्रति

पैरा संख्या 4(ख) (परिशिष्ट - क)

Financial Position of SCVT Sundernagar as on 01.04.2016 to 31.03.2024						
Year	**Opening Balance**	**Receipt During The Year**	**Interest Received (Savinng +FDR Interest)**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2016-17	₹ 14,31,12,141.87	₹ 62,73,261.50	₹ 2,05,64,994.00	₹ 16,99,50,397.37	₹ 78,61,606.75	₹ 16,20,88,790.62
2017-18	₹ 16,20,88,790.62	₹ 66,73,510.28	₹ 99,29,893.00	₹ 17,86,92,193.90	₹ 2,57,54,702.39	₹ 15,29,37,491.51
2018-19	₹ 15,29,37,491.51	₹ 42,12,566.00	₹ 81,96,926.00	₹ 16,53,46,983.51	₹ 82,17,595.90	₹ 15,71,29,387.61
2019-20	₹ 15,71,29,387.61	₹ 48,68,343.00	₹ 1,71,65,164.00	₹ 17,91,62,894.61	₹ 2,02,41,598.30	₹ 15,89,21,296.31
2020-21	₹ 15,89,21,296.31	₹ 30,53,513.00	₹ 85,20,255.00	₹ 17,04,95,064.31	₹ 1,05,78,227.50	₹ 15,99,16,836.81
2021-22	₹ 15,99,16,836.81	₹ 71,50,534.00	₹ 42,05,288.00	₹ 17,12,72,658.81	₹ 1,04,40,210.50	₹ 16,08,32,448.31
2022-23	₹ 16,08,32,448.31	₹ 1,88,50,125.00	₹ 1,49,88,973.00	₹ 19,46,71,546.31	₹ 4,10,63,221.22	₹ 15,36,08,325.09
2023-24	₹ 15,36,08,325.09	₹ 78,79,624.00	₹ 1,03,83,216.00	₹ 17,18,71,165.09	₹ 4,98,08,879.50	₹ 12,20,62,285.59

पैरा संख्या 4(ग) से सम्बन्धित परिशिष्ट - (ख)

Total as per General Cash Book as on 31.03. 2024			122062285.59
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024 (Detail Given Below)			122062285.59
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31-03-2024			**0.00**
Sr. No	**Name of Bank**	**Account No**	**Balance on dated 31-03-2024**
1	SBI	55076226411	958745.59
2	Amount invested in various FDR		121103540.00
			122062285.59

checked by me.

Drawing & Disbursing Officer,
Dire... of Tech. Education,
Voc... & Industrial Training,
H.P. ...nagar

25

पैरा संख्या - 5.1 से संबन्धित परिशिष्ट - (ग)

Detail of FDR's as on 31.03.2024 SCVT, Sundernagar.

Sr. No.	FDR No.	Name of Bank	Date of Investment	Invested Amount	Rate of Interest	Maturity value	Date of Maturity	TDS Deducted	Remarks
1	32930301708	H.P. Co-Op	03.06.2023	52,31,851	7.10	56,13,320	03.06.2024		
2	32930300998	H.P. Co-Op	14.06.2023	86,67,999	7.1	93,00,007	14.06.2024		
3	65122012277	SBI	18.07.2022	79,61,046	5.35	92,04,210	11.04.2025		
4	65119954553	SBI	10.06.2022	80,09,046	5.2	92,23,649	05.03.2025		
5	65119954654	SBI	10.06.2022	64,07,233	5.2	73,78,915	05.03.2025		
6	65119962280	SBI	10.06.2022	80,09,046	5.2	92,23,649	05.03.2025		
7	65072092031	SBI	13.10.2021	48,51,760	5.3	56,81,966	12.10.2024		
8	51453031003702	OBC/PNB	15.10.2021	23,85,065	5.1	27,76,689	15.10.2024		
9	51453031003719	OBC/PNB	15.10.2021	24,21,484	5.1	28,19,088	15.10.2024		
10	303400PU00004094	PNB	19.01.2024	1,17,45,961	6.75	1,25,59,109	19.01.2025		
11	303400PU00004085	PNB	19.01.2024	1,17,45,961	6.75	1,25,59,109	19.01.2025		
12	303400PU00004119	PNB	19.01.2024	1,03,17,292	6.75	1,10,31,536	19.01.2025		
13	XX14646	AXIS Bank	19.07.2023	70,00,000	6.8	75,03,622	30.07.2024		
14	XX17357	AXIS Bank	19.07.2023	89,40,424	6.8	95,83,652	30.07.2024		
15	XX3002350	ICICI Bank	15.07.2023	79,09,372	6.7	84,52,764	15.07.2024		
16	XX313003192	ICICI Bank	19.05.2023	25,00,000	7.1	27,29,893	19.08.2024		
17	XX803142280	HDFC Bank	01.06.2023	25,00,000	7.1	27,30,987	02.09.2024		
18	XX40073464213	Axis Bank	17.05.2023	45,00,000	7.15	48,59,814	17.06.2024		
				12,11,03,540		**13,32,31,979**			

Checked by me.

10/2/25

Drawing & Disbursing Officer,
Dire[illegible] of [illegible],
Voc[illegible] Industrial Training,
H.P. Sundernagar

26

-22-

(परिशिष्ट-'ख') पैरा 2.12-13 से सम्बन्धित।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या/ दिनांक	मद का नाम	शीर्ष	भुगतान राशि	TDS under sec 94 C @ 2%	CGST 1%	SGST 1%	TDS Under sec 94J @ 10%	राशि
1	Amar ujala, the tribune,times	676/03.01.2017	advertisment bill	SCVT	₹ 55,130	₹ 1,103	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 1,103
2	NIELIT Shimla	685/17.01.2017	deployment of manpower	SCVT	₹ 1,10,463	₹ 2,209	₹ 1,105	₹ 1,105	₹ 0	₹ 4,419
3	CII Skill mission study	986/04.01.2018	training purpose	SCVT	₹ 13,21,954	₹ 26,439	₹ 13,220	₹ 13,220	₹ 1,32,195	₹ 1,85,074
4	NIELIT Shimla	192	deployment of manpower	SCVT	₹ 77,812	₹ 1,556	₹ 778	₹ 778	₹ 0	₹ 3,112
5	NIELIT Shimla	364	deployment of manpower	SCVT	₹ 85,170	₹ 1,703	₹ 852	₹ 852	₹ 0	₹ 3,407
6	NIELIT Shimla	547/04.06.2020	deployment of manpower	SCVT	₹ 1,06,783	₹ 2,136	₹ 1,068	₹ 1,068	₹ 0	₹ 4,271
7	NIELIT Shimla	549/04.06.2020	deployment of manpower	SCVT	₹ 1,06,783	₹ 2,136	₹ 1,068	₹ 1,068	₹ 0	₹ 4,271
8	HP Agro industry ltd	550/04.06.2020	Purchase of 4 tyre	SCVT	₹ 24,400	₹ 488	₹ 244	₹ 244	₹ 0	₹ 976
9	M/S Skylight manpower & hospitality	552/08.06.2020	sanitation work labour	SCVT	₹ 20,718	₹ 414	₹ 207	₹ 207	₹ 0	₹ 829
10	NIELIT Shimla	562/26.06.2020	deployment of manpower	SCVT	₹ 1,06,783	₹ 2,136	₹ 1,068	₹ 1,068	₹ 0	₹ 4,271
11	Sh. Ravinder Advocate	564/30.06.2020	legal fee	SCVT	₹ 37,000	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 3,700	₹ 3,700
13	H.P Agro industry ltd.	249/09.03.2022	Purchase of 4 tyre	SCVT	₹ 26,800	₹ 536	₹ 268	₹ 268	₹ 0	₹ 1,072
14	H.P Agro industry ltd.	742/01.08.2023	Purchase of 4 tyre	SCVT	₹ 33,800	₹ 676	₹ 338	₹ 338	₹ 0	₹ 1,352
15	maa bhader kaali & lower nursery	758/18.08.2023	Purchase of flower pots	SCVT	₹ 33,980	₹ 680	₹ 340	₹ 340	₹ 0	₹ 1,359
16	Baddi infrastructure ltd.	458/23.09.2022	training purpose	SCVT	₹ 1,65,000	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 16,500	₹ 16,500
17	Kashish technology	KT/21-22/94 dated 10.08.2022	PC	SCVT	₹ 1,75,042	₹ 3,501	₹ 1,750	₹ 1,750	₹ 0	₹ 7,002
18	IIT Mandi CCE	24/21.07.2022	organising the FDP modules for DTE polytechnic college	SCVT	₹ 26,00,000	₹ 0	₹ 26,000	₹ 26,000	₹ 2,60,000	₹ 3,12,000
										₹ 5,54,718

checked by

27